संख्या–649{क}/सोलह–प्रा0शि0–3–2004–46{ 2}/2005

प्रेषक,

जी0 पी0 मिश्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 29 अप्रैल,2005

विषय– प्रदेश के निजी क्षेत्र में प्रसाद पालीटेक्निक, पंच–हटिया, जौनपुर में तीन वर्षीय इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग, तीन वर्षीय इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग तथा तीन वर्षीय कम्प्यूटर साइंस ऐण्ड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु शासनादेश संख्या–3063/सोलह–प्रा0शि0–3–2003–46{ 8}/2002, दिनांक 20–12–2003 के अनुसार राज्य सरकार की अनापत्ति का निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 23192/कैम्प–नि0प्रा0शि0/एन0ओ0सी0/नि0क्षे0पा0/2005–06, दिनांक 11–02–2005 द्वारा शासन में प्राप्त प्रस्ताव एवं संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल प्रदेश के निजी क्षेत्र में संचालित प्रसाद पालीटेक्निक, पंच–हटिया, जौनपुर में निम्नलिखित तीन पाठ्यक्रमों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रवेश क्षमता सहित शैक्षिक सत्र 2005–06 से आगे लिखी गई शर्तो के अधीन संचालित किये जाने पर राज्य सरकार की अनापत्ति निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि वर्षो में	प्रवेश क्षमता
1	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	03	40
2	इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग	03	40
3	कम्प्यूटर साइंस ऐण्ड इंजीनियरिंग	03	40

——2/–

{ 1} उपर्युक्त संस्था में संदर्भित पाठ्यक्रमों को तभी संचालित किया जायेगा जब संस्था शासनादेश संख्या-3063/सोलह-प्रा0शि0-3-2003-46 { 8}/2002, दिनांक 20-12-2003 में उल्लिखित मानकों एवं शर्तों को पूर्ण करेगी।

{ 2} संस्था के उपरिअंकित पाठ्यक्रमों को संचालित करने हेतु उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त करना होगा।

{ 3} उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त करने के पश्चात् ही संदर्भित पाठ्यक्रमों को संचालित किया जायेगा।

{ 4} संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/ अधिनियमों/ शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों /विनियमों /आदेशों /निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।

{ 5} उपरिवर्णित पाठ्यक्रमों हेतु संस्था में छात्रों/छात्राओं के प्रवेश का कार्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही किया जायेगा तथा इसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

{ 6} संस्था के उपरिवर्णित पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले चुके छात्रों/छात्राओं की वार्षिक परीक्षा को सम्पन्न कराने एवं परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों/छात्राओं को डिप्लोमा प्रदान करने का कार्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सम्पादित किया जायेगा। उत्तीर्ण छात्रों/छात्राओं को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा ही डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा।

{ 7} संस्था के उपरिवर्णित पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता का निर्धारण तथा उसमें कोई परिवर्तन केवल राज्य सरकार की अनुमति से ही किया जायेगा। दूसरे शब्दों में संस्था को स्वयं अपनी तरफ से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता को घटाने या बढ़ाने या उसमे किसी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई अधिकार प्राप्त नही होगा। इस प्रकार प्रवेश क्षमता में

----3/-

परिवर्तन करने का अधिकार एक मात्र राज्य सरकार में निहित है।

{8} संस्था द्वारा छात्रों/छात्राओं से केवल उतना ही शिक्षण शुल्क लिया जायेगा जो कि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा। इस संबंध में राज्य सरकार का निर्णय संस्था के लिए बाध्यकारी होगा। संस्था को अपनी तरफ से शुल्क निर्धारण करने का कोई अधिकार नही होगा।

{9} संस्था राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले नियमों/ आदेशों के अनुरुप छात्रों/छात्राओं के प्रवेश में प्रवृत्त आरक्षण नीति का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेगी।

{10} राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इससे संबंधित किसी भी सुसंगत बिन्दु पर आवश्यक निर्देश अपनी स्वतः प्रेरणा से जारी कर सकेगी तथा राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए ट्रस्ट/सोसाइटी/संस्था बाध्य होगी।

{11} संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम 1962 एवं इसमें समय-समय पर हुए समस्त संशोधनों के प्राविधानों को मानने के लिए बाध्य होगी।

2- निदेशक प्राविधिक शिक्षा संस्था को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व शासनादेश संख्या-3063/सोलह-प्रा0शि0- 3-2003-46{ 8}/2002, दिनांक 20-12-2003 में निर्धारित सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं विधि का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और उसके पश्चात् ही संस्था को सम्बद्धता प्रदान की जायेगी।

भवदीय,

{ जी0 पी0 मिश्र}
विशेष सचिव।

संख्या-649{क}{ 1}/सोलह-प्रा0शि0-3-2005 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

-----4/-

2- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, कानपुर।

3- सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4- सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5- संबंधित संस्था ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

[जितेन्द्र राम त्रिपाठी]

अनुसचिव।